भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 857
दिनांक 24.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना

†857. श्री राजीव रायः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हर घर जल योजना या स्वयं योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितनी कंपनियों को ठेके दिए गए;
(ख) क्या इसके अंतर्गत कार्य पूरे हो चुके हैं, यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है, यदि कोई हो;
(घ) क्या कोई ऐसी ठेका कंपनी है जिसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है; और
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता की पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित होने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल की शुरुआत की। मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.71%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के ठोस प्रयासों से लगभग 12.43 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने की सूचना है। इस प्रकार, 22.07.2025 तक,

देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.67 करोड़ (80.94%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हर घर जल स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए तीन (3) कंपनियों को ठेके प्रदान किए गए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, ठेका कंपनियों द्वारा शुरू किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

जिला	**कंपनी**	**आवंटित योजनाओं की संख्या**	**आवंटित गांवों की संख्या**	**नियमित जल वाले गांव**	**पूर्ण योजनाओं की संख्या**	**प्रगतिशील योजनाएं**	**टिप्पणी**
मऊ	1	219	488	169	45	174	अपूर्ण ओएचटी के मामले में, पंपिंग द्वारा सीधे नियमित जल आपूर्ति प्रदान की जाती है।
	2	113	319	112	6	107	
	3	200	511	232	60	140	

राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, योजनाओं के पूरा होने में देरी कोविड-19 महामारी, पाइपलाइन को एक ओर से दूसरी ओर पार कराने या नाली/सड़क काटने के लिए विभिन्न विभागों (जैसे रेलवे, एनएच, पीडब्ल्यूडी और एक्सप्रेसवे) से एनओसी प्राप्त करने, परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण करने आदि के कारण हुई है।

(ग) राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मऊ जिले में योजना की धीमी प्रगति के लिए दंडात्मक कार्रवाई के रूप में एक कंपनी पर 5% एलडी लगाया गया है।

(घ) और (ङ): उपर्युक्त बाधाओं के बावजूद अन्य दो कंपनियां अच्छा कार्य कर रही हैं।

****